आवश्यक/समयबद्ध

प0सं0-स0नि0-निःशुल्क भूमि /2023-24/ 407 /राज्य कर

कार्यालयः आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊःदिनांक 23 अगस्त, 2023

अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर
जोन अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, इटावा,
गाजियाबाद द्वितीय, झांसी, लखनऊ द्वितीय,
मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर,
वाराणसी प्रथम व द्वितीय।

विषयः- राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या-366(B)/11-4-2023 दिनांक 11.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रेषित एवं पृष्ठांकन प्रति मुख्यालय इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया है कि प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारियों को जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए, राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क भूमि खोज कर/ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक 11.08.2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए अपने-अपने जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क भूमि खोज कर/उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

ह0/21-08-2023

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(राम सजीवन मिश्रा)
संयुक्त आयुक्त (सम्पत्ति) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

संख्या–366A/11–4–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हाथरस, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बदॉयू, शहजाहॉपुर, फतेहगढ, बुलन्दशहर, बादा, हमीरपुर, उरई/जालौन, लखीमपुरखीरी, बागपत, रामपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी, मुजफ्फनगर, आजमगढ, भदोही, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश।

राज्य कर, अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 11 अगस्त, 2023

विषयः– राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य कर विभाग उ0प्र0 के विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन कतिपय जनपदो में निजी भवनो में किराये पर संचालित है, जिसके कारण काफी धनराशि किराये में ही व्यय हो जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निशुल्क भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से प्रयास कर सरकारी कार्यालय निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर आयुक्त (प्र०)

आयुक्त
17.8.23

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–366B/11–4–2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर राज्य कर कार्यालय भवन हेतु निशुल्क भूमि खोज कर/उपलब्ध कराये जाने की कार्यावाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।